




ए.बी./रा.भा.प्र./हिं.ति.प्र.रि./ 32130



दिनांक : 03 अक्टूबर, 2019

आवश्यक

1. निदेशक, चिकित्सा विज्ञान संस्थान
2. निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान
3. निदेशक, पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान
4. निदेशक, विज्ञान संस्थान
5. निदेशक, प्रबंध शास्त्र संस्थान
6. निदेशक, यूजीसी-मानव संग्राह्य विकास केन्द्र
7. निदेशक, भारत कला भवन
8. आचार्य प्रभारी, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर(ब)
9. आचार्य प्रभारी, ट्रॉमा सेंटर
10. पुस्तकालयाध्यक्ष, केंद्रीय ग्रंथालय
11. संकाय प्रमुख, कला संकाय
12. संकाय प्रमुख, शिक्षा संकाय
13. संकाय प्रमुख, प्रबंध शास्त्र संकाय
14. संकाय प्रमुख, आयुर्वेद संकाय, चि.वि. संस्थान
15. संकाय प्रमुख, मेडिसिन संकाय, चि.वि. संस्थान
16. संकाय प्रमुख, दंत चिकित्सा संकाय, चि.वि. संस्थान
17. संकाय प्रमुख, कृषि विज्ञान संकाय
18. संकाय प्रमुख, वाणिज्य संकाय
19. संकाय प्रमुख, विधि संकाय
20. संकाय प्रमुख, संगीत एवं मंच कला संकाय
21. संकाय प्रमुख, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय
22. संकाय प्रमुख, विज्ञान संकाय
23. संकाय प्रमुख, सामाजिक विज्ञान संकाय
24. संकाय प्रमुख, दृश्य कला संकाय
25. संकाय प्रमुख, पर्यावरण एवं धारणीय विकास संकाय
26. संकाय प्रमुख, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय
27. प्राचार्या, महिला महाविद्यालय
28. प्राचार्या, नर्सिंग महाविद्यालय
29. द्वात्र अधिष्ठाता
30. मुख्य आरक्षाधिकारी
31. सूचना एवं जन-संपर्क अधिकारी
32. आचार्य प्रभारी, बीएचयू प्रेस
33. परीक्षा नियंता
34. वित्ताधिकारी
35. चिकित्सा अधीक्षक, सर सुन्दरलाल चिकित्सालय
36. उपाध्यक्ष, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ
37. संयुक्त कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)
38. संयुक्त कुलसचिव, चयन एवं आंकलन प्रकोष्ठ
39. संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन-गैर शिक्षण)
40. संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन-शिक्षण)
41. संयुक्त कुलसचिव (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
42. उप-कुलसचिव (शिक्षण)
43. उप-कुलसचिव (विकास)
44. उप-कुलसचिव (सम्पदा)
45. आंतरिक अंकेक्षण अधिकारी
46. विधि अधिकारी
47. प्राचार्या, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल(क)
48. प्राचार्या, सेंट्रल हिंदू ब्वायज स्कूल(क)
49. प्राचार्या, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय(क)
50. समन्वयक, संगणक केन्द्र
51. अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, बरकद्वारा
52. महामंचिव, विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद्
53. अधीक्षण अभियंता, विश्वविद्यालय निर्माण विभाग
54. अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं जल आपूर्ति विभाग
55. महायक कुलसचिव, सफाई एवं महायक सेवाएं
56. महायक कुलसचिव (समन्वय प्रकोष्ठ)

30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट

भेजने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमानुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के उपरांत एक माह के भीतर मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजना अनिवार्य है।

अतएव, अनुरोध है कि कृपया अपने संस्थान/संकाय/महाविद्यालय/विद्यालय/कार्यालय की 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र (भाग-1) में भरकर 12 अक्टूबर, 2019 तक राजभाषा प्रकोष्ठ को अवश्य भिजवा दें ताकि विश्वविद्यालय की ममेकित हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपेक्षित समय-सीमा के भीतर मंत्रालय एवं यूजीसी को भेजी जा सके।

कृपया रिपोर्ट में प्रशासनिक/कार्यालयीन कार्यों से संबंधित आंकड़े ही प्रस्तुत किए जाएं।

सधन्यवाद,

भवदीय

[Signature]

कुलसचिव

वाराणसी - 221005, उ.प्र., भारत

Varanasi - 221 005, UP, INDIA


दूरभाष T : 0542-6701659

वेबसाइट W : www.bhu.ac.in

ई-मेल E-mail: oficetrasan@bhu.ac.in

S-0

संलग्नक : यशोवत
30/10/19



हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट

(केवल प्रशासनिक/कार्यालयीन कार्यों से संबंधित आंकड़े ही प्रस्तुत किए जाएं)

..... को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

अनुभाग/कार्यालय का नाम :

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)* के अंतर्गत जारी कागजात

क्र.	कागजात का विवरण	द्विभाषी में	केवल हिंदी	केवल अंग्रेजी में	योग
1	सामान्य आदेश General Order				
2	परिपत्र Circular				
3	अधिमूचना Notification				
4	नियम Rule				
5	ज्ञापन Memorandum				
6	संकल्प Resolution				
7	प्रेस विज्ञप्ति Press Communique				
8	संविदा Contract				
9	निविदा Tender				
10	करार Agreement				
11	लाइसेंस Licences				
12	परमिट Permit				
13	प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें Administrative & Other Reports				
14	संसदीय प्रश्न Parliamentary Questionnaire				
कुल योग					

* राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)* के अंतर्गत उपर्युक्त सभी कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी किया जाना अपेक्षित है।

2. भारत सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों एवं यूजीसी से हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति

हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे

* राजभाषा नियम 1976 के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने अनिवार्य हैं।

3. भारत सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों एवं यूजीसी से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की स्थिति

अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे
1	2	3	4
'क' क्षेत्र से			
'ख' क्षेत्र से			

(नोट : नियमानुसार उपर्युक्त 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में अंग्रेजी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने अपेक्षित हैं।)

'क' क्षेत्र -	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज. य. और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मध्य राज्य क्षेत्र
'ख' क्षेत्र -	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली मध्य राज्य क्षेत्र
'ग' क्षेत्र -	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या मध्य राज्य क्षेत्र

... जारी

-2-

4. भारत सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों एवं यूजीसी को अपनी ओर से भेजे गये मूल पत्र (ई-मेल सहित) (Details of originating letters including e-mail etc.) (मद सं. 2 और 3 में वर्णित पत्रों को छोड़कर)

हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की	हिंदी/द्विभाषी में भेजे

	1	2	कुल संख्या 3	गए पत्रों का प्रतिशत 4
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				

5. फाइलों पर लिखी गई टिप्पणियां (बिंदु सं. 2, 3 एवं 4 के संदर्भ में)

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

हिंदी में	अंग्रेजी में	कुल संख्या

6. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की
के आयोजन की तिथि _____

बैठक

7. शीर्षस्थ (प्रशासनिक प्रमुख/कार्यालय प्रमुख स्तर की अध्यक्षता वाली) प्रशासनिक बैठक

बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में वार्तालाप/कार्रवाइयां हिंदी में की गई

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिए जाने की स्थिति में मामला नियंत्रक अधिकारी के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

2

20/11/11

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(मोहर सहित)